न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 12/2012/(2012/00060) जिला अजमेर

मदन गोपाल पुत्र रामधन चौधरी निवासी कोटा रोड़ केकड़ी जिला अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 18 राज0 आयुद्ध अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश कमांक न्याय/शस्त्र/2011/दिनांक 14–12–2011

———

उपस्थितः 1– श्री घनश्याम सिंह लखावत अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक : 18–07–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 5/88 दिनांक 27–12–88 को जारी किया गया था। अपीलार्थी के पास 32 एनपी बोर रिवाल्वर संख्या बी/180 एवं 12 एनपी डीबीबीएल गन नम्बर ए/1953 अनुज्ञा पत्र में दर्ज है। उक्त अनुज्ञा पत्र दिनांक 31–12–2010 तक नवीनीकृत था जिसके आगामी तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण हेतु दिनांक 13–12–2010 को जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष अवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जिस पर अपीलार्थी द्वारा विधिवत रूप से जवाब प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट में मुकदमें विचाराधीन होने को आधार मानते हुए आदेश दिनांक 14–12–2011 पारित कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 14–12–2011 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा दिनांक 14–12–2011 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी की उपस्थिति में कोई आदेश पारित नहीं किया। अपितु अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त सुनवाई हेतु प्रार्थी को जानकारी दी गई तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण में नियमानुसार तारीख पेशी नियत नहीं की गई और न ही अपीलार्थी को जानकारी दी गई। अपीलार्थी द्वारा अपने अभिभाषक से जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा आदेश जारी होने का कथन किया तथा दिनांक 11–1–2012 को नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 6–2–2012 को प्राप्त होने पर अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की धारा–5 मियाद अधिनियम की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने

आयुध अधिनियम की धारा 17 (3) में प्रावधित शर्तो का दुरूपयोग करते हुए अवैध रूप से निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा उसके अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया इसके बावजूद जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने अपने में निहित धारा 17 की शक्तियों का अवैधानिक रूप से प्रयोग कर अनुज्ञा पत्र निरस्त किया। अपीलार्थी के विरूद्ध राजनैतिक विरोधियों द्वारा गलत मुकदमें दर्ज करवाये गये तथा प्रकरण न्यायालय में लम्बित है इसके बावजूद भी लम्बित प्रकरणों पर विचार नहीं कर अपीलार्थी के दोषित नही होने के बावजूद भी आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी कानून का पालन करने वाला है सामाजिक जीवन मे रहते हुए विरोधियों द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज करवाये है स्वयं थानाधिकारी ने इस बात को नजरअन्दाज किया कि लोक शांति बनाए रखने के क्रम में स्वयं प्रशासन द्वारा अपीलार्थी को शांति समिति का सदस्य बनाया है। सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में अपीलार्थी के सक्रिय रहने से विरोधियों द्वारा अपीलार्थी की जान व माल को नुकसान पहुंचाये जाने की सदैव आशंका बनी हुई है तथा स्वयं की सुरक्षा हेतु अपीलार्थी के पास अनुज्ञा पत्र में वर्णित शस्त्र के रहते उन लागों की हिम्मत अपीलार्थी को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की नहीं होती है। इस कारण षडयंत्र पूर्वक थानाधिकारी के माध्यम से गलत तथ्य अंकित करवाकर अपीलार्थी का शस्त्रविहीन करने के उद्देश्य से गलत रिपोर्ट अंकित करवाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने बिना समुचित जांच किये अपने में निहित शक्तियो को दुरूपयोग करते हुए आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, अजमर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने थानाधिकारी केकड़ी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 9–12–2010 में अंकित किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर 264/07 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 451, 323, 341, 325 आईपीसी में एवं मुकदमा नम्बर 224/09 अन्तर्गत धारा 341, 323 आईपीसी में दर्ज हुआ था जो विचाराधीन है। अपीलार्थी को जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 11397 दिनांक 25–7–2011 से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबंध में जारी कर उनके विरूद्ध न्यायालय में लम्बित प्रकरण की जानकारी के मध्यनजर आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत आगामी अवधि के लिए अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नही कर नवीनीकरण निरस्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है। पुलिस की रिपोट अनुसार समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोक शांति एवं जन सुरक्षा आवश्यक रूप से बनाए रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक ने अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमों के मध्यनजर अपनी

जांच में लोक शांति एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अभिशंषा की है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 14–12–2011 के बाद न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 केकड़ी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22–12–2015 एवं 11–12–2020 द्वारा सन्देह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा आर्म्स एक्ट धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों तथा राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशो के क्रम में अपीलार्थी सदाचरण प्रतीत नहीं होता है तथा समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोक शांति एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत नहीं कर अनुज्ञा पत्र में वर्णित शस्त्र एवं गोला बारूद को थाना केकडी में जमा कराने के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 14–12–2011 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर मुकदमा नम्बर 264/07 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 451, 323, 341, 325 आईपीसी में एवं मुकदमा नम्बर 224/09 अन्तर्गत धारा 341, 323 आईपीसी में दर्ज हुआ था जो विचाराधीन होने के मध्यनजर आगामी अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा के आधार पर ही जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा उक्त शस्त्र का गोला बारूद सहित संबंधित थाना केकड़ी में जमा कराने के आदेश पारित किये है। अपीलार्थी को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 केकड़ी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22–12–2015 एवं 11–12–2020 द्वारा सन्देह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जा चुका है। साथ ही अपीलार्थी को प्रशासन द्वारा शांति समिति का सदस्य भी बनाया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्ध न्यायिक कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) में यदि लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है तो लाईसेंसिंग अथोरिटी को उप–धारा 5 में कारण बताने होंगे कि लाईसेंसी के पास हथियार होने से किन कारणों से जन सुरक्षा को खतरा है। अपीलार्थी के विरूद्ध जो मुकदमें विचाराधीन थे जिनमें माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 केकड़ी द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है, केवल इस कार्यवाही से जन सुरक्षा को खतरा होने का आधार मानना किसी भी स्थिति में उचित व विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–12–2011 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) अजमेर का आदेश क्रमांक न्याय/शस्त्र/2011/ दिनांक 04–12–2011 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर से अपीलार्थी के आचरण एवं चरित्र संबंधी रिपोर्ट पुनः प्राप्त करे तथा अपीलार्थी की विधिवत कर सुनवाई कर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 18–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर